संख्या- 1 /1593ए/49-3-2013-100(1)/2000

प्रेषक,

राम किशोर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता,उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक: 06 दिसम्बर, 2013

विषय- वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा दिये गये ऋण/ब्याज की अदायगी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-452/लेखा-अ/एनसीडीसी, दिनांक 06नवम्बर, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं हेतु दिये गये ऋणो के भुगतान (वापसी) हेतु ब्याज के मद में रू0 3,02,76,549.00 (रूपये तीन करोड़ दो लाख छियहत्तर हजार पॉच सौ उन्चास मात्र) एवं मूलधन के मद में रूपये 7,89,77,500-00(रूपये सात करोड नवासी लाख सतहत्तर हजार पॉच सौ मात्र) अर्थात् कुल रू0 10,92,54,049.00 (रूपये दस करोड़ बानबे लाख चौव्वन हजार उन्चास मात्र) की धनराशि का भुगतान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को करने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त स्वीक़ति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-18 कृषि तथा सम्बद्ध विभाग(सहकारिता) के अन्तर्गत निम्न लेखा शीर्षक के नामे डाला जायेगा :--

लेखा शीर्षक	धनराशि (रूपये में)
ब्याज	
2049- ब्याज अदायगियॉ- आयोजनेत्तर	
02- आन्तरिक ऋणो पर ब्याज	
200- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त ऋणों पर ब्याज	
32- ब्याज/लाभांश	
मतदेय	
भारित	रू0 3,02,76,549-00
मूलधन	
6003- राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण - आयोजनेत्तर	
108- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज	
03- लिए गए ऋण का प्रतिदान	

----2/--

http://shasanadesh.up.nic.in

30- निवेश/ऋण

मतदेय

भारित रू0 7,89,77,500-00

कुल धनराशि रू0 10,92,54,049-00

(रूपये दस करोड़ बानबे लाख चौव्वन हजार उन्चास मात्र)

3- उपर्युक्त धनराशि के आहरण एवं वितरण हेतु आपको प्राधिकृत किया जाता है। उपर्युक्त धनराशि का आहरण कर उसका भुगतान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के पक्ष में अलग-अलग धनराशि के बैंक ड्राफ्ट जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो नई दिल्ली में देय हो, बनवाकर दिनांक 05-1-2014 तक या इसके पूर्व **वित्तीय सलाहकार, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, 4 सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली - 110016** को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें तथा प्राप्ति रसीद की एक प्रति शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही विगत में प्राप्त तथा भविष्य में एन0सी0डी0सी0, नई दिल्ली से प्राप्त होने वाली समस्त धनराशि के लेखा-जोखा के रख-रखाव का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ के स्तर से रखा जाना सुनिश्चित किया जाये।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- यू0ओ0-बी-3-209/दस-2013, दिनांक: 02दिसम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम किशोर)
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 1 /1593ए(1)/49-3-2013,तद् -दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: --

1- उप महालेखाकार(राजकोष एवं वी0एल0सी0), कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार(राजकोष), कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-.द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- सहायक निदेशक(लेखा) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, 4 सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली को उनके पत्रांक NCDC:A&C/XIV/1/Rel/2005-06, दिनांक 11-10-2013 के संदर्भ में ।
5- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, क्षेत्रीय कार्यालय को उनके पत्रांक-रा0सं0 वि0नि0/7-9/94/आरओएल/994, दिनांक 22-10-2013 के संदर्भ में।
6- वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3/वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम किशोर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in